कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

का. आ. सं. - प्रशा. (ले.प.) - प्रोन्नति/लिपिक/2021-22/ग- 353 दिनांक: 30.12.2021

कार्यालय आदेश

उप महालेखाकार (प्रशासन) ने निम्नलिखित एम.टी.एस. को लिपिक के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 2 के वेतनमान (रू. 19900 - रू. 63200) में दिनांक 01.01.2022 या लिपिक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रोन्नति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रम सं.	यू.आई.डी. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	कोटि (Quota)
1.	BHPTA3031408	गणेश कुमार (Ganesh Kumar)	एम.टी.एस.	वरीयता कोटि
2.	BHPTA3031416	संजय (Sanjay)	एम.टी.एस.	परीक्षा कोटि

प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद पर उनकी वरीयता अगले आदेश तक औपबंधिक मानी जाएगी। साथ ही, उपरोक्त प्रोन्नति, DoPT के O.M. No. 36012/11/2016-Estt. (Res.I) (Pt.II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले आदेशों एवं निर्णयों के अधीन होगी।

प्रोन्नति के तत्काल बाद से दो वर्षों तक वे परिवीक्षा में रहेंगे। लिपिक श्रेणी में वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के लिए/उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन्हें उनके प्रोन्नति के दो वर्षों के अंदर अंग्रेजी अथवा हिन्दी टंकण में क्रमशः 35 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति सीमा से कम्प्युटर पर टंकण जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टंकण दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने की स्थिति में वे किसी विभागीय परीक्षा यथा एस.ए.एस. परीक्षा, लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा आदि जिसे उत्तीर्ण करने पर वे उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सक्षम होते हों, बैठने के अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। टंकण दक्षता में सफलता की स्थिति में ही रोकी गयी वेतन वृद्धि मुक्त की जाएगी किन्तु पूर्व की अवधि का वेतन बकाया संदेय नहीं होगा। उनकी वरीयता विद्यमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार नियत की जाएगी।

प्रोन्नत कर्मी चूकि MACP योजना के अंतर्गत लाभान्वित हैं, अतः प्रोन्नति के उपरांत उनका वेतन निर्धारण भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के ज्ञापांक सं. 35034/3/2015-Estt (D) दिनांक 22.10.2019 के अनुलग्नक सं. I के पारा 4 (iii) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा ।

ह./-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि आवश्यक कारवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना ।
2. सभी स्कन्ध अधिकारी, स्थानीय ।
3. सभी नियंत्री वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी ।
4. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी - दावा - I, दावा - II, कल्याण/सामान्य अनुभाग, प्रशि. एवं परी. तथा ए.एम.एस. ।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं.हक़.) बिहार पटना ।
6. संबन्धित व्यक्ति ।
7. सूचना पट्ट/ कार्यालय आदेश संचिका ।

30/12/2021

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)